कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री जगन्नाथ पुत्र रेवड जाति मीना निवासी बडौली थाना रामगढ पचवारा जिला(राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एस0 डी0 एम0, दौसा

अपील सं0 54/2017

<u>निर्णय</u> दिनांक 25.10.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को दिनांक 21.06.2017 को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । सूचना लोक सूचना अधिकारी, एस0 डी0 एम0, दौसा से संबंधित होने के कारण एसडीओ, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को वॉछित सूचना दिलवाने हेतु आवेदन करने पर लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा अपने पत्रांक आरटीआई/2017/708 दिनांक 28.06.2017 द्वारा आवेदन पत्र सूचना का अधिकारी अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, दौसा को स्थानांतरित किया जाकर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। सूचना उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। किंतु लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा से इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में वॉछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल लोक सूचना अधिकारी, उपखरण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा